भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 561
(दिनांक 06 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

लोगों का वित्तीय उन्नयन

561. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्रीमती हेमामालिनी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए तैयार की गई रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) तैयार किए गए थे, जिसमें 'एसडीजी लक्ष्य 1.2' का उद्देश्य विशेष रूप से गरीबी में रहने वाले सभी तरह के और सभी उम्र के पुरुषों , महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम से कम आधा करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार देश में बहुआयामी गरीबी को कम करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो विशेष रूप से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आये हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण युवाओं को सामाजिक सुरक्षा नेट और कौशल प्रदान करने, अवसंरचना विकास आदि पर मुख्य रूप से ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक कल्याण में सुधार करने के लिए बहु-आयामी कार्यनीतियों को अपनाया है। इस संबंध में, सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), प्रधानमंत्री

आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जैसे कई लक्षित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। भूमि संसाधन विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य वर्षासिंचित/अवक्रमित भूमि का विकास करना है।

(ख) से (च**):** दिनांक 25 सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प से 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) अस्तित्व में आए। एसडीजी लक्ष्य 1.2 का उद्देश्य विशेष रूप से सभी आयामों के तहत गरीबी में रहने वाले सभी उम्र के पुरुषों , महिलाओं और बच्चों की संख्या को कम से कम आधे अनुपात तक कम करना है। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार , वर्ष 2015-16 और 2019-20 के बीच 13.5 करोड़ लोग "बहुआयामी गरीबी" से बाहर निकले। वर्ष 2015-16 और 2019-22 के बीच बहुआयामी गरीबों की संख्या में 24.85% से 14.96% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह इंगित करता है कि भारत 2030 से बहुत पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2019-21 में बहुआयामी गरीबों का अनुपात शहरी क्षेत्रों में 5.27% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 19.28% था। इस अनुमान से संकेत मिलता है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) मूल्य में तेजी से कमी देखी गई है। वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच शहरी क्षेत्रों में 8.65% से 5.27% की गिरावट की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 32.59% से घटकर 19.28% हो गई। यह रिपोर्ट (दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप के संबंध में सूचना सहित) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और निम्नलिखित वेबसाइट पर देखी जा सकती है:

https://niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National-Multidimentional-Poverty-Index- 2023.pdf

इसके अलावा, वर्ष 2020 में नीति आयोग द्वारा ग्रामीण विकास क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन किया गया था , जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया कि यह योजना भारत के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई है और इसे एसडीजी 2 और 9 में योगदान करने वाली योजना के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसने गरीबी, भूख और विकास के लिए बुनियादी ढांचा संबंधी विषयों पर काम किया है। इसके अलावा , डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई का लक्ष्य विशेष रूप से वर्षासिंचित बुआई वाले क्षेत्रों और कृषि योग्य बंजर भूमि में उत्पादकता और आजीविका/भूमि की आय क्षमता में सतत सुधार सुनिश्चित करना है।

*****